रघुवीर सहाय की कविता

पानी पानी

पानी पानी
बच्चा बच्चा
हिन्दुस्तानी
मांग रहा है
पानी पानी
जिसको पानी नहीं मिला है
वह धरती आज़ाद नहीं
उस पर हिन्दुस्तानी बसते हैं
पर वह आबाद नहीं
पानी पानी
बच्चा बच्चा
मांग रहा है
हिन्दुस्तानी
जो पानी के मालिक हैं
भारत पर उनका कब्ज़ा है
जहां न दें पानी वाँ सूखा
जहां दें वहां सब्ज़ा है
अपना पानी
मांग रहा है
हिन्दुस्तानी
बरसों पानी को तरसाया
जीवन से लाचार किया
बरसों जनता की गंगा पर
तुमने अत्याचार किया
हमको अक्षर नहीं दिया है
हमको पानी नहीं दिया
पानी नहीं दिया तो समझो
हमको बानी नहीं दिया
अपना पानी
अपनी बानी हिन्दुस्तानी
बच्चा बच्चा मांग रहा है
धरती के अंदर का पानी
हमको बाहर लाने दो
अपनी धरती अपना पानी
अपनी रोटी खाने दो
पानी पानी
पानी पानी
बच्चा बच्चा
मांग रहा है
अपनी बानी
पानी पानी
पानी पानी
पानी पानी

अपराधी का राजनीतिक

युवा इनेलो का ज़िलाध्यक्ष 7 आपराधिक मामलों में लिप्त

फ़रीदाबाद (म.मो.) चौटालों का अपराधियों से मेलजोल कोई नया नहीं है। अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इनेलो फ़रीदाबाद ज़िला अध्यक्ष का पद जिस विकास चौधरी को सौंपा गया है, उस पर आज की तारीख में 7 आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं और जो दर्ज नहीं हो सके उनका कोई हिसाब नहीं। पहला मुकदमा नं. 284 दिनांक 2.7.07 को भा.दं.सं. की धारा 323, 342, 384, 365, 506 व 34 के अंतर्गत सेक्टर 7 के थाने में दर्ज हुआ। इसी थाने में मुकदमा नं 458 दिनांक 8.11.07 को भा.द.सं. की धारा 384 व 506 के अंतर्गत मुकदमा नं. 588 दिनांक 21.10.08 को भा.द.सं. की धारा 341, 323 व 506 के अंतर्गत, मुकदमा नं. 28 दिनांक 11.1.09 भा.द.सं. की धारा 148, 149, 452, 323 व 506 के अंतर्गत, मुकदमा नं. 29 दिनांक 12.1.2009 भा.द.सं. की धारा 148, 149, 323, 341, 427 व 506 के अंतर्गत दर्ज हुए। एक अन्य मुकदमा नं 197 वर्ष 2007 में भा.द.सं की धारा 364, 307/511 व 120बी के अंतर्गत थाना कासना ज़िला गौतमबुद्ध नगर यूपी में तथा एक मुकदमा नं 697 दिनांक 5.8.09 का भा.द.सं. की धारा 454, 380, 511, 323 के अंतर्गत थाना सेन्ट्रल फ़रीदाबाद में दर्ज हुआ।

धारा 364 हत्या के लिए अपहरण और 384 डरा धमकाकर वसूली अथवा फ़िरौती के लिए लगती है, 307 हत्या के प्रयास, 342 किसी को अपनी कैद में रखने तथा 427 किसी की प्रॉपर्टी ध्वस्त करने पर लगाई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि विशाल का अब तक पेशा गुंडागर्दी व लूटमार करने का रहा है। इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर यहां के पूर्व एसपी आलोक मित्तल ने इसके रिवाल्वर का लाइसैंस रद्द करने की सिफ़ारिश तत्कालीन उपायुक्त को की थी जो आज तक अमल में नहीं आई है, बल्कि इस वक्त उसका लाइसैंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में चल रहा है, जिसकी फीस जमा हो चुकी है और अब थाना सेक्टर 7 की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। एक और मज़े की बात यह है कि पिछले गत 3 माह से शहर भर के लाइसैंस धारकों के हथियार पुलिस ने जमा करा रखे हैं लेकिन इसका नहीं। अपराधी से नेता बनने की पहली सीढ़ी अब चौटाला साहब ने इसे थमा दी है। इसकी आड़ में अब इसका धंधा भी ज़ोरों पर चलेगा और चौटाला साहब की पार्टी भी। ऐसे लोग जब सियासी नेतृत्व में शामिल हो जाएंगे तो पुलिस क्या अपनी ऐसी तैसी कराएगी, अपराध तो फ़िर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और दिन दहाड़े बेखौफ़ हुआ करेंगे। पुलिस इन्हें पकड़ने के बजाए सलाम किया करेगी।

ड्रग का कारोबार जोरों पर

फरीदाबाद (म.मो.) शहर में ड्रग का कारोबार जोरों पर चल रहा है। भांग, गांजा, सुल्फ़ा आदि तो हर क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हैं, हेरोइन और स्मैक भी संपर्क के आधार पर मिल जाते हैं। यही नहीं, कई ऐसी दवायें जो डॉक्टर की पर्ची पर ही बेची जा सकती हैं, कीमत से कुछ ज़्यादा पैसे दे कर मेडिकल स्टोरों से आसानी से खरीदी जा सकती हैं। ऐसी दवाओं में अल्प्राजोलम नाम की दवा जो प्रशांतक का काम करती है, सबसे ज़्यादा बेची जाती है। इसके अलावा नींद लाने वाली अनेकों किस्म की दवायें भी केमिस्टों द्वारा अधिक कीमत लेकर बिना डॉक्टर की पर्ची के बेची जाती हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाता है। इन दवाओं को कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक लगातार ले तो इसकी आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाने के बाद इन्हें कोई छोड़ना चाहे तो उसे मानसिक और शारीरिक परेशानियां होने लगती हैं। यहां तक कि कुछ कर पाना भी उनके लिए संभव नहीं हो पाता। दवा न मिलने पर इसके आदी लोगों के हाथ-पांवों में कंपन शुरू हो जाता है और मानसिक छटपटाहट होने लगती है। उनकी हालत तभी सही होती है जब उन्हें वह फ़िर से दी जाये। इन साइकोट्रौपिक दवाओं की आदत बहुत जल्दी पड़ती है और एक बार यदि व्यक्ति उनके चंगुल में पड़ जाये तो आसानी से निकल नहीं पाता। इन दवाओं का काफ़ी साइड इफेक्ट होता है। साथ ही, वे लोग़ जो इन दवाओं के आदी हो जाते हैं, उनकी दवा लेने की खुराक भी बढ़ती जाती है। इन दवाओं के लगातार इस्तेमाल से व्यक्ति की यादाश्त भी भी कमजोर होने लगती है। इसके साथ ही और कई मानसिक कमजोरियां प्रकट होने लगती हैं। इन दवाओं का प्रतिकूल प्रभाव व्यक्ति की यौन क्षमता पर भी पड़ता है। इन सारी बातों को देखते हुए सरकार ने बिना डॉक्टर की पर्ची के इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाये जाने से पूर्व ये दवायें धड़ल्ले से बिका करती थीं। पर जब से प्रतिबंध लगा है, बहुतेरे केमिस्ट बिना डॉक्टर की पर्ची के इन्हें ग्राहकों को नहीं बेचते। फ़िर भी ऐसे लोग़ों की कोई कमी नहीं है जो इन दवाओं को खरीदने के लिए डॉक्टरों की नकली पर्ची का जुगाड़ कर लेते हैं। साथ ही, ऐसे मेडिकल स्टोरों की भी कोई कमी नहीं है जो ज़्यादा कीमत ले कर उपरोक्त दवायें बेचते हैं। दवाओं के आदी लोग़ भी इनके लिए कोई कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। जहां तक भांग, गांजा, सुल्फ़ा, हेरोइन, स्मैक आदि का सवाल है, शहर भर की झुग्गी बस्तियां इनकी बिक्री का एक बड़ा केंद्र हैं। लगभग सभी झुग्गी बस्तियों में इन मादक पदार्थों का व्यापार धड़ल्ले से होता है। शहर की कई कालोनियों में भी हेरोइन और स्मैक की बिक्री के अड्डे हैं, पर यहां तक पहुंच उनकी ही हो पाती है जो पहले से किसी परिचित ग्राहक के साथ वहां जायें। अनजान व अपरिचित लोग़ नशीले पदार्थों की बिक्री के इन अड्डों तक कतई नहीं पहुंच सकते। वैसे भांग, गांजा, सुल्फ़ा आदि झुग्गी बस्तियों में आसानी से बिकते देखे जा सकते हैं और कोई भी इन्हें खरीद सकता है। अब सवाल है कि क्या यह धंधा बिना पुलिस की जानकारी के हो रहा है ? नशीली वस्तुओं की बिक्री के जो अड्डे सामान्य लोग़ों तक को मालूम हैं, उनके बारे में पुलिस को नहीं पता ? पता क्यों नहीं है। अच्छी तरह से पता है। पर नशे के सौदागरों ने पुलिस को अच्छी-खासी मंथली बांध रखी है। यही कारण है कि सब कुछ जानते हुए भी पुलिस उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती। कुल मिला कर नशीली वस्तुओं का कारोबार पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। पुलिस यदि चाह ले तो यह कारोबार मिनटों में समाप्त हो सकता है, लेकिन तब उसे मंथली कैसे मिलेगी ?

नशीली वस्तुओं के कारोबार से पुलिस को अच्छी-खासी आमदनी होती है। यही कारण है कि वह इस ओर से अपनी आंखें पूरी तरह बंद रखती है। यही हाल ड्रग इंस्पेक्टरों का है। वे यदि कड़ाई बरतें तो साइकोट्रॉपिक दवाओं की बिक्री संभव ही नहीं है। वैसे यह सच है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के ज़्यादातर केमिस्ट साइकोट्रॉपिक दवायें नहीं बेचते, पर हर इलाके में कुछ खास ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जहां ये दवायें खुलेआम बेची जाती हैं।

पेज 1 का शेष भाग

टावर पर चढ़े युवक को डीसी ने बनाया हीरो

लोक-लाज व उसकी धमकियों के डर से लड़की व उसके परिवार वालों ने उस वक्त पुलिस कार्यवाही की बजाय बात को दबा देना ही बेहतर समझा था। परंतु इस वहशी जानवर रूपी युवक तथा उपायुक्त की नालायकी के चलते उसकी लोक-लाज की तो हो गई ऐसी की तैसी तथा रोज-रोज का बखेड़ा उनकी जान को खड़ा हो गया, वह अलग से। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार इससे भी दुखदायी बात तो यह है कि उपायुक्त ने अपनी ओर से पूरा ज़ोर लगा दिया कि पुलिस यह केस दर्ज न करे। लेकिन एक बार उनके दबाव में आ कर ग़लत काम कर चुकी पुलिस दोबारा कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं हुई तथा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उक्त मुकदमा दर्ज कर फ़रार आरोपी की तलाश तेज़ कर दी है। वह गिरफ़्तार होगा जब होगा, लेकिन फ़िलहाल लड़की के परिवार व पुलिस दोनों को राहत मिली हुई है।

उपायुक्त प्रवीण कुमार की मूर्खता का यह न तो पहला उदाहरण है न आखरी। इससे पहले इन्होंने लघु सचिवालय से मधुमक्खियों का छत्ता तुड़वा कर तथा तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तहसील में हवन करा कर अपनी प्रशासनिक 'योग्यता' का परिचय दिया था। इनके अलावा छोटे-मोटे नमूने तो हर रोज़ ही देखने को मिलते हैं। पिछले दिनों थाना सेक्टर 31 के एक तफ़तीशी अधिकारी को एक स्टाम्प विक्रेता का वह रजिस्टर कब्ज़े में ले कर जांच हेतु एफएसएल में भेजना था जो करीब दो वर्ष पहले उपायुक्त कार्यालय ने अपने कब्ज़े में ले रखा था। उसकी दरखास्त पर श्रीमान उपायुक्त महोदय ने कहा कि रजिस्टर की फ़ोटो कॉपी तफ़तीशी को दे दो। कार्यालय के छोटे अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से समझाया कि तफ़तीश एवं जांच के लिए असल रजिस्टर की ही जरूरत पड़ती है, यह काम फ़ोटो कॉपी से नहीं हो सकता। यदि हुड्डा सरकार इन साहब पर यूं ही मेहरबान रही तो ये साहब ऐसे-ऐसे और भी कई कारनामे पेश करेंगे।

थानेदार द्वारा 'मज़दूर मोर्चा' संपादक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की मांग

यद्यपि जांच रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन उपलब्ध प्रारंभिक जानकारी के आधार पर इतना तो तय है कि सुनील ने खुद थानेदार व कानून का जानकार होते हुए अपने ही उच्चाधिकारियों को झूठी दरख्वास्त दे कर पुलिस को गुमराह किया है, जिसके आधर पर पुलिस को जांच-पड़ताल व गवाहों के बयान आदि लिखने व रिपोर्ट तैयार करने पर काफ़ी संसाधन व्यय करने पड़े। इसी बात को लेकर अब क्यों न उलटे सुनील के खिलाफ़ ही विभागीय कार्यवाही की जाये ?

सर्वविदित है कि हरिजनों की जान-माल व इज्जत को दबंगों से बचाने के लिये बने हरिजन एक्ट का आज खुला दुरुपयोग हो रहा है। जो वास्तव में ही दबे-कुचले हरिजन हैं, उनका तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है, पर सुनील जैसे डकैत हरिजन कोटे से थानेदारी प्राप्त करने भर से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें हरिजन होने की आड़ में बेखौफ़ डकैतियां मारने का अधिकार भी साथ में चाहिए और जो कोई उनके इस अधिकार में बाधा खड़ी करे, उसके खिलाफ़ ये लोग हरिजन एक्ट का इस्तेमाल भी चाहते हैं।

पानीपत में
मज़दूर मोर्चा
प्राप्त करें :
जय मां न्यूज़ एजेंसी
लाल बत्ती चौक
सतीश धवन
09896908150

मज़दूर मोर्चा
पाक्षिक समाचार पत्र
फरीदाबाद के पाठकों के लिए मजदूर मोर्चा अब हॉकरों के माध्यम से उपलब्ध है। जो भी हॉकर आपके यहां अखबार देने आता है, वह मांगने पर मज़दूर मोर्चा अवश्य देगा। डाक से अखबार पहुंचे या नहीं, इसका कोई ठिकाना न होने के कारण हमने यह नई व्यवस्था की है। अखबार मिलने में किसी तरह की समस्या होने पर हमारे प्रसार प्रबंधक से निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क करें :
दीक्षित न्यूज एजेंसी 9811159238
अब बल्लभगढ़ व पलवल के पाठक भी अपने हॉकर से मजदूर मोर्चा प्राप्त कर सकते हैं। किसी कठिनाई की स्थिति में संपर्क करें :
भूटानी न्यूज़ एजेंसी
मीनार गेट, पलवल। मोब.: 09354112741, 09728382049